आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 106/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूको बैंक, मानसरोवर(2096), रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स ध्रुव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो. श्री नरेन्द्र कुमार वशिष्ठ,
   पताः— प्लॉट नं. 202, टी—2, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर।
2. श्री नरेन्द्र कुमार वशिष्ठ पुत्र श्री मनोहर लाल वशिष्ठ,
   पता :— प्लॉट नं. सी—17, महाराजा कृष्ण सिंह नगर, एसबीआई के पास, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :—

1. श्री अमित दाधीच, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री अक्षत कुलश्रेष्ठ, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 16.06.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री नरेन्द्र कुमार वशिष्ठ के स्वामित्व की हाइपोथिकेटेड कार फोर्ड एण्डेवर 3.2एल टाईटेनियम 4×4 एटी, रजिस्ट्रेशन संख्या आरजे 14 यूजे 5252 एवं व्यवसायिक सम्पत्ति प्लॉट नं. सी—17, महाराजा किशन सिंह नगर, एसबीआई के पास, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान) क्षेत्रफल 119.44 वर्ग गज को बन्धक रख कर दिनांक 23.10.2015 को राशि 25,00,000/— रूपये, दिनांक 22.06.2016 को राशि 23,25,000/— रूपये एवं दिनांक 06.09.2020 को राशि 01,49,053/— रूपये कुल राशि 49,74,053/— रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.07.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अक्षत कुलश्रेष्ठ ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब/बहस हेतु अवसर चाहा है।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी ने जवाब बहस प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा है, किन्तु सरफेसी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। इसलिए अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 49,74,063/— रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास हाइपोथिकेशन/गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 30,10,849.36/— रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.07.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री नरेन्द्र कुमार वशिष्ठ के स्वामित्व की व्यवसायिक सम्पत्ति प्लॉट नं. बी–17, महाराजा किशन सिंह नगर, एसबीआई के पास, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान) क्षेत्रफल 119.44 वर्ग गज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर